बिहार सरकार
समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला पशुपालन कार्यालय)
अल्पकालीन निविदा सं0–01

उत्पादक/भंडारकर्त्ता/उपभंडार कर्त्ता/पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ़/ सुखाड़ सहाय्य कार्य के लिए गेहूँ का भूसा/ पुआल का कुट्टी का सील बन्द निविदा मधेपुरा जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्रकाशन के 21 वे दिन शाम 5:00 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जिला पशुपालन कार्यालय मधेपुरा में निविदा प्राप्त किया जाएगा। निविदा को जिला पदाधिकारी मधेपुरा की अध्यक्षता में विभागीय जिला निविदा समिति के द्वारा प्राप्ति के अगले कार्य दिवस को 3:00 बजे दिन में खोला जाएगा।

निविदा की शर्तें जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। अग्रधन की राशि रू0– 5000.00 (पाँच हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो मधेपुरा शाखा में भुगतेय होगा, जमा कराना अनिवार्य है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
मधेपुरा।

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

निविदा के शर्तें

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का भूसा, कुट्टी हेतु निविदा अंकित होगा।
2. तकनीकी निविदा में निम्नलिखित शर्तें होगी–
   (क) रूपया 5000/– का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में देना होगा जो कि असफल निविदा दाता को वापस किया जा सकेगा तथा सफल निविदा दाता की राशि को निविदा की अवधि तक रोक रखी जाएगी।
   (ख) पैन कार्ड की छाया प्रति।
   (ग) काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ–पत्र लगा (मूल–प्रति) होना चाहिए।
   (घ) सामग्री का नमूना पॉच सौ ग्राम0 पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बद, निविदा के साथ रहना चाहिए।
   (ड़) सभी शर्तें मान्य होने संबंधी प्रमाण–पत्र।
3. तकनीकी निविदा, निविदा दाता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। यदि वे उपस्थित नहीं होते है तो निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय निविदा दाता के लिए मान्य होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाता का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
5. निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
6. वित्तीय निविदा में दर साफ–साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी का दर अलग–अलग अंकित होना चाहिए।
7. सामग्री की आपूत्ति मधेपुरा जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्त्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
8. सफल निविदा दाता का नाम एवं आपूर्त्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
9. सफल निविदा दाता को सात दिनों के अंदर जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा से एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्तें तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होगें।
10. सभी अंचलों में निर्देष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदा दाता स्वय जिम्मेवार होंगें।
11. भूसा सूखा, कवक रहित, उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए और उत्पादन से छः माह ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नमी दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. पन्द्रह दिनों के अंदर आपूर्त्ति नहीं करने पर कुल मुल्य पाँच प्रतिशत दण्ड लगाया जायेगा जिसका निर्णय निविदा समिति द्वारा लिया जायेगा।
13. किसी भी स्तर पर निविदा रद्द किया जा सकता है या आवश्यकता नहीं पड़ने पर आपूर्त्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।
14. शर्तों के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्त्ति में देरी या अनियमितता, गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जायेगा।
15. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा।
16. कोई भी विवाद मधेपुरा न्यायालय के दायरे में होगा।
17. भूसा के गुणवत्ता में संदेह होने पर गुणवत्ता जाँच कराई जा सकती है।
18. आपूर्त्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित अंचलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा दिया जायेगा जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	विशिष्टता/गुणवत्ता
1	गेहूँ का भूसा	नमी दस प्रतिशत से कम, कवक रहित
2	धान की कुट्टी (पैडी स्ट्रा की कुट्टी)	नमी दस प्रतिशत से कम, कवक रहित

08.05.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
मधेपुरा।
Pradip 08/5/17

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।